। संख्या 68/22 सरकार बनाम प्रेमचन्द

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
22.2.2022	आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी ढाकरी ने फसल रबी / खरीफ सम्वत / सन् 2078 में गांव / चक 31 NP सिंचित / असिचित कुल 2.733 हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। आप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय बावजुद तामील के उपस्थित / अनुपस्थित उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी राशि रू० 930 रु अखरे रूपये नौ सौ तीस रु मात्र अधिरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावें टी.आर.ए. को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावें पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार ~~हेतु लिखा जावें~~ लिया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	